पत्रांक–13/यो० 02–01/2018............/

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार। ***

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2018–19 में राज्य स्कीम के अंतर्गत बिहार राज्य पूर्व से संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये कुल ₹ 25493.85 लाख (दो अरब चौवन करोड़ तिरानवे लाख पंचासी हजार) रुपयें की सहायक अनुदान के रुप में निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए कुल ₹ 32200.00 लाख (तीन अरब बाईस करोड़ रु०) की आवश्यकता है (व्यय विवरणी संलग्न)। तत्काल उपलब्ध राशि ₹ 25493.85 लाख (दो अरब चौवन करोड़ तिरानवें लाख पचासी हजार) रुपयें की निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के सभी 20 हजार महादलित टोलों, अतिपिछड़े वर्गे एवं 10 हजार तालीमी मरकजों में इन समुदायों की 15–35 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है तथा प्रति वर्ष 06–14 आयु वर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

वर्ष 2018–19 में क्रियान्वित होनेवाली योजना के अंतर्गत प्रथम संस्था के सहयोग से 9 जिले यथा– नालंदा, अररिया, किशनगंज, पूर्णियां, कटिहार, सुपौल, वैशाली, अरवल एवं जहानाबाद में **"कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं"** कार्यक्रम में निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण एवं अध्ययन सामग्री पर व्यय किया जायेगा।

सभी 38 जिले में यूनिसेफ के सहयोग से सभी टोला सेवक एवं सभी शिक्षा सेवियों के क्षमतावर्द्धन हेतु 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। यह क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित होगा। इस प्रशिक्षण का व्यय यूनिसेफ द्वारा किया जायेगा। केवल प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण में आने–जाने हेतु वास्तविक यात्रा व्यय निदेशालय द्वारा व्यय किया जायेगा।

2. बजट शीर्ष– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत राशि **₹ 2,54,93,85,000/- (दो अरब चौवन करोड़ तिरानवें लाख पचासी हजार) रुपये** के व्यय विकलन वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष **2202**–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, **04**–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, **789**–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष **0101**–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–**21–2202047890101** के अन्तर्गत विषय शीर्ष–**0101.31.06** सहायक अनुदान–गैर वेतन, माँग संख्या–**21** आदि के अलावे से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि निदेशक, जन शिक्षा के निस्ताराधीन सौंपी जाती है। राशि की निकासी सहायक निदेशक (लेखा), जन शिक्षा, बिहार, पटना द्वारा फार्म–42 पर नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से की जायेगी तथा सचिव, बिहार राज्य साक्षरता प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी। राशि प्राधिकरण द्वारा बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी। सभी जिलों के द्वारा राशि का व्यय नियमानुसार करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र फार्म–**42A** में प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

प्राधिकरण के द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फार्म–**42A** में) निदेशक, जन शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, जन शिक्षा के द्वारा व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र फार्म–**BTC-42A** में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को भेजते हुए विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. प्रस्ताव में व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग की संकल्प संख्या–3758/वि० दिनांक 31.05.2017 के कंडिका–8 के आलोक में राज्य द्वारा प्रायोजित चालू स्कीम के अन्तर्गत निकासी की जा रही है।
5. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–13/यो०02–01/2018 के पृष्ठ संख्या–06/टि० पर प्राप्त है।
7. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्त्तमान में **₹ 2,54,93,85,000/- (दो अरब चौवन करोड़ तिरानवें लाख पचासी हजार) रुपयें का उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।**
8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि०/2 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति के तुरन्त बाद राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फार्म–**BTC-42A**) महालेखाकार, बिहार, पटना एवं उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।
10. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/यो० 02–01/2018................/पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/यो० 02–01/2018................/पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक (लेखा), जन शिक्षा/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जनशिक्षा (दो प्रतियोंमें) में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/यो० 02–01/2018....05..../पटना, दिनांक–....24/5/18....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना शाखा/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना/साक्षरता)/सभी सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति/उप निदेशक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जन शिक्षा/लेखापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/18

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाओं तथा बालक एवं बालिकाओं की साक्षरता एवं शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2018—19 में होनेवाले व्यय का व्यय विवरणी।

I	टोला सेवक/स्वयंसेवकों का मानदेय	₹8000 x 30000 केन्द्र x 12 माह	2880000000
II	**केन्द्र स्तर पर सामग्री (वयस्क माताओं के लिये)**		
1	प्रवेशिका (पूर्व से अपेक्षित संख्या में पुस्तक उपलब्ध है)	पूर्व उपलब्ध पुस्तकों से	—
2	अभ्यास पुस्तिका	₹ 15 x 2x 12,00,000	36000000
3	काष्ट पेन्सिल	₹ 5 x4x 12,00,000	24000000
4	पेन्सिल कटर	₹ 3 x2x 12,00,000	7200000
5	रौलिंग बोर्ड	₹ 50x1x 30,000	1500000
6	चॉक	₹ 20x2x 30,000	1200000
7	उपस्थिति पंजी (वयस्क माताओं/बच्चों के लिये)	₹ 25 x 1x 30,000	750000
8	उपस्थिति पंजी (शिक्षा स्वयंसेवी/टोला सेवक के लिये)	₹ 25 x 1x30,000	750000
9	सर्वेक्षण पंजी	₹ 15 x 2x30,000	900000
		कुल	**72300000**
III.	**प्रशिक्षण एवं नवाचारी कार्यक्रम**		
क.	प्रथम के सहयोग से 9 जिलों में संचालित "कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं" कार्यक्रम में जन शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण एवं अध्ययन सामग्री पर व्यय की जानेवाली राशि		20000000
ख.	यूनिसेफ के सहयोग से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवियों के क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। आवासीय प्रशिक्षण के सारे व्यय यूनिसेफ के द्वारा वहन किये जायेंगे। प्रशिक्षण स्थल पर आवागमन का वास्तविक यात्रा व्यय निदेशालय द्वारा वहन होगा।	₹ 500 x 30,000	15000000
ग	राज्य एवं जिला स्तरीय साधन समूह के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण		16300000
		कुल	**51300000**
IV.	**अनुश्रवण**		
1	राज्य स्तरीय पदाधिकारियो/परामर्शियों/कर्मियों द्वारा		1500000
2	राज्य साधन समूह के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण	₹800 प्रति दिन x38 सदस्य x15 दिन x12 माह	5472000
3	के0आर0पी0 द्वारा अनुश्रवण	₹500 प्रति दिन x 534 के0आर0पी0 x 20 दिन x 12 माह	64080000
4	जिला स्रोत समूह (DRG) के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण	₹800 प्रति दिन x2 सदस्य x10 दिन x12 माह X38 जिला	7296000
5	प्रखण्ड स्रोत समूह (BRG) के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण	₹500 प्रति दिन x1 सदस्य x10 दिन x12 माह X534 प्रखण्ड	32040000
		कुल	**110388000**
V	प्रबंधन व्यय (मानदेय, वाहन, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, बैठक, संचार, कोर्ट केश एवं अन्यान्य)	(क) राज्य स्तर पर	2250000
		(ख) जिला स्तर पर (30000 केन्द्र X 100 रु0)	3000000
		कुल	**5250000**
VI.	वातावरण निर्माण/सामाजिक सुधार के कार्यक्रम पर होने वाले व्यय		55000000
VII.	अंकेक्षण (योजना के आरम्भ से)		10000000
VIII.	टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत देय एक मुश्त 4 लाख अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान		35000000
IX.	राज्य स्तर पर दस्तावेजीकरण एवं अन्य कार्य		762000
		कुल—	**3220000000**

(तीन अरब बाईस करोड़) रुपये मात्र